न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 17/2015 तारीख रजू :–27.07.2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

मनोज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन उम्र 34 वर्ष जाति जैन निवासी जामा मस्जिद के पास रेल्वे कॉलोनी वार्ड नं0 35 बजरिया सवाई माधोपुर (विक्रेता व प्रोपराईटर) फर्म मैसर्स जैन ज्यूस, बजरिया सवाई माधोपुर राज0।

............अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 22/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार रामचन्दानी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.05.2014 को समय 05.00 पी.एम पर दल के सदस्य श्री नरेश कुमार चेंजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मैसर्स जैन ज्यूस, बजरिया सवाई माधोपुर राज0 पर पहुँचा। वहाँ पर श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) स्टील की टंकी में विक्रय हेतु रखा था। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया व विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया जहाँ विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) के मानक स्तर का नहीं होने की शंका होने पर विक्रेता से नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मं तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) 04 लीटर एक साफ सुखे व खाली बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री मनोज कुमार जेन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन को रू 400/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थि[illegible] के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] किये [illegible] है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, [illegible] चीनी से निर्मित) को 04 बराबर कांच के जारों में भर कर तथा 80–80 बूंद [illegible] अच्छे से बन्द किया [illegible]था चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया जिसपर डी.ओ. के कोड एवं कमांक एच–472 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग– अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी ए[illegible]
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच – 472 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भंागों को अपने जाप्तें में लिया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म न0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में पत्रवाहक कानाराम मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बन्द नमूना भाग माय फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी. ओ(मुख्य चिकित्साा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)सवाईमाधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2014/2281 दिनांक 01.12.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 /एफएसएसएल/कोटा/2014/458 दिनांक 01.12.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) अवमानक व मिथ्याछाप होना पाया गया है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान बाबत् श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन जामा मस्जिद के पास रेल्वे कॉलोनी वार्ड न0 35 बजरिया सवाई माधोपुर खाद्य कारोबार कर्ता को पत्र भिजवा कर खाद्य रजि0 पत्र की सूचना चाही गई। किन्तु श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन ने पत्रों का प्रतिउत्तर नहीं दिया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से वकालतनामा श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एड0 ने पेश किया। अभियोजनं अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

वकील अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त की दुकान से लिये गये सेम्पल में केवल शक्कर की मात्रा ही अधिक आई है, अन्य किसी तरह की मिलावट सेम्पल में नहीं है अतः अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 /एफएसएसएल/कोटा/2014/458 दिनांक 01.12.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया है जिसका विक्रय व निर्माण कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधीनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व मानक नियम एवं विनियम ,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को अवमानक व मिथ्याछाप (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ बिल का ज्यूस (बिल, दूध व चीनी से निर्मित) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:21 IST
Reason: SelfAttested